International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.in
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 84-86

अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण

राकेश त्रिपाठी
प्रवक्ता, राजनीति विभाग, एस. आर. एस. एम., नरैनी, बॉदा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
विश्व में शांति की स्थापना के लिए तथा मानवता एवं पार्यावरण की रक्षा के लिए निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के महत्व को प्रस्तुत करना।

मूल शब्द : अप्रसार, निरस्त्रीकरण।

1. प्रस्तावना

अनुसंधान की दृष्टि से आज निरस्त्रीकरण और अप्रसार का महत्व बहुत बढ़ गया है। विश्व शांति की आवश्यकता के लिए एवं मानव जाति की प्रगति के लिए वर्तमान समय मे निरस्त्रीकरण की अत्यधिक आवश्यकता बढ गयी है। प्रथम विश्व युद्ध में जो भयंकर विनाश हुआ था उसके परिणामस्वरूप राजनेताओं और बुद्धिजीवियों दोनो को यह विश्वास हो गया था कि स्थायी शांति के लिए शस्त्रास्त्रों मे कटौती सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक हो गया था अमेरिका के राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने कहा था कि ''शस्त्रास्त्र राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित करते है और युद्ध मानव जाति हेतु विनाशक सिद्ध होता है'' इसलिए उनकी इच्छा थी कि संसार को भविष्य की पीढियों के लिए सुरक्षित बनाया जाय और ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और निरस्त्रीकरण द्वारा ही सम्भव है। शस्त्रास्त्रों मे कमी या कटौती करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने 1918 मे अपने प्रसिद्ध 14–सूत्रों के द्वारा किया था।

बिल्सन के 14– सूत्री प्रस्तावों में चौथा सूत्र था कि '' सभी राष्ट्र इस बात की गारंटी देगे और प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रीय शस्त्रास्त्रों की उस स्तर की कटौती की जायेगी जहॉ तक वे आन्तरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। '' इस घोषणा का मूल दर्शन यह था कि शस्त्रास्त्र युद्धों का कारण होते है अतः निरस्त्रीकरण द्वारा ही भविष्य में सशस्त्र संघर्षों की आशंका कम हो जायेगी।

राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा (covenant) के अनु0 8 में शस्त्रास्त्रों की कटौती के लिए राष्ट्रों की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद मे यह प्रावधान किया गया है कि ''राष्ट्रसंघ के सदस्य यह मानते है कि शान्ति बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय शस्त्रास्त्रों में उस स्तर की कटौती की आवश्यकता है जहॉ तक राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के लिए निर्वतन करने की आवश्यकता हो। और सदस्यों ने यह भी वचन दिया कि एक बार कटौती करने के पश्चात राष्ट्रसंघ की परिषद के अनुमति के बिना अपने शस्त्रास्त्रों में वृद्धि नहीं करेंगे।

2. निरस्त्रीकरण व अप्रसार आवश्यक क्यों

शोध की दृष्टि से यह प्राप्त हुआ है कि विश्व शांति की आवश्यक शर्त के रूप में निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण दोनो का ही महत्व है। सामान्य रूप से निरस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण की आधुनिक अवधारणा यह है कि विश्व शांति को सुनिश्चित करने के लिए अस्त्रों मे कटौती आवश्यक है इस प्रकार ऐसी विश्व व्यवस्था स्थापित हो सकेगी जो युद्ध रहित होगी। इस प्रकार यह शांति का एक उपागम है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ''बान की मून ने कहा है कि दुनिया में अगर परमाणु हथियार मुक्त करने मे कामयाबी मिल जाती है तो उससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मजबूती मिलेगी। परमाणु निरस्त्रीकरण से ऐसे बहुत से संसाधन उपलब्ध हो जाएगे जिनकी जरूरत सामाजिक एवं आर्थिक विकाश के लिए है। इससे कानून का शासन सुनिश्चित करने और पार्यावरण को सुरक्षित रखने मे भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर परमाणु निरस्त्रीकरण किया जाता है तो परमाणु सामाग्री को आतंकवादी गुटों के हाथों मे पडने से भी रोका जा सकता है।

महासचिव –बान की मून का कहना था कि '' परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र मे कुछ प्रगति तो हुयी है परमाणु हथियारों के सामाग्री मे घोषित भंडार दशको से यूं ही पडे हुये है। कुछ परमाणु सम्पन्न देशों ने परीक्षण स्थल बंद कर दिये है और नये परमाणु हथियार बनाने भी बंद कर दिये है। अनेक देशों ने परमाणु हथियारों के भंडारण की चौकसी बढा दी है। परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा पर जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए संकल्पबद्धता ताजा हुयी है। हॉलांकि इन वादों पर अमल होना है।

संयुक्त राष्ट्र रेडियों द्वारा

3. निरस्त्रीकरण के सन्दर्भ मे संन्धियॉः

विश्व शांति हेतु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के सन्दर्भ में कुछ संधियॉ निम्न है–

- **परमाणु अप्रसार संधि – (Non Proliferation Triti)**

परमाणु अप्रसार संधि को एन पी टी के नाम से जाना जाता है इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ–साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर शुरू हुये। अभी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या 190 है। जिसमे पॉच के पास आण्विक हथियार है। यह देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। सिर्फ पॉच प्रभुता सम्पन्न देश इसके सदस्य नहीं है ये है भारत, इजरायल, पाकिस्ताान, द0सुदान, उत्तरी कोरिया । एन टी पी के तहद भारत को परमाणु सम्पन्न देश की मान्यता नहीं दी गयी है। जो इसके दोहरे मापदण्ड को प्रदर्शित करती है। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैण्ड ने रखा था । और सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला देश फिनलैण्ड है। इस संधि के तहद परमाणु सम्पन्न

देश उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारो का निर्माण एवं परीक्षण कर लिया हो। इस आधार पर भारत को यह दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्राप्त है। क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था । तथा उत्तरी कोरिया ने इस पर दस्तखत किये और इसका उल्लंघन भी किया और फिर इससे बाहर आ गया।

इस संधि के मुख्य स्त्रोतः

1. परमाणु अप्रसार
2. निरस्त्रीकरण
3. परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण उपयोग

- **परमाणु परीक्षण निषेध**

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम आण्विक परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया। पहली बार 20000 बन परम्परागत विस्फोटक को प्लूटिनम के अणु के रूम पे परिवर्तित और परिष्कृत करके परीक्षण किया गया था। तीन सप्ताह पश्चात अमेरिका ने जापान को पराजित करने के उद्देश्य से जापानी नगर हिरोशिमा पर एक अणु बम गिराया और तीन दिन पश्चात उसी श्रेणी में एक अन्य बम नागासाकी मे गिराया गया इस सर्वनाश ने जापन का आत्म समर्पण के लिए बाध्य कर दिया । भूतपूर्व सोवियत संघ ने अमेरिकी कार्यवाही को एक चुनौतीपूर्ण लिया । जैसे ही शीत युद्ध आरम्भ हुआ सोवियत संघ अणु बम की खोज मे ब्यस्त हो गया जब सन 1949 मे सोवियत संघ ने अपना प्रथम अणु विस्फोट किया तब अमेरिका का अणु एकाधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, चीन ने 1964 में, परमाणु बमों का निर्माण एवं परीक्षण किया। ये पॉचों देश परमाणु क्लब कहलाने लगे। सन 1995 तक 2068 परीक्षण किये जा चुके है। इसमे भारत का एक मात्र परीक्षण शामिल है। अन्य विकासशील देशों की भॉति भारत का सिद्धान्त भी परमाणु अस्त्रो का निर्माण, परीक्षण और धारण के विरूद्ध रहा है।

- **ब्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधिः (Comperhensive Test Ban Treaty 1996)**

आंशिक परमाणु परीक्षण संधि 1963 में अथवा अन्य समझौतो मे धरती के नीचे किये जाने वाले परमाणु परीक्षणों का निषेध नहीं किया गया था। अपनी सुरक्षा एवं पार्यावरण की रक्षा के लिए मानवता की चिंता ने ब्यापक परमाणु निषेध वार्ता को प्रोत्साहित किया। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच 1977 में परमाणु परीक्षण निषेध की एक ब्यापक संधि के लिए बातचीत आरम्भ हुयी इन वार्ताओं को 1980 में निलंबित कर दिया गया। सभी परमाणु सम्पन्न देशों ने 1980 के दश में बड़े स्तर पर (धरती के नीचे) परमाणु परीक्षण किये। सीटीबीटी पर गम्भीर रूप से 1986 में रेकेविम के रीगन गोर्वाचोव शिखर सम्मेलन के समय विचार आरम्भ हुआ।

4. निरस्त्रीकरण सम्मेलनः (Conference on Disarmament)

निरस्त्रीकरण सम्मेलन का आरम्भ 1960 के दशक में हुआ था। परन्तु यह 1980 के दशक में जेनेवा में सक्रिय हुआ। अठारह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति जिसका भारत भी एक सदस्य था 1982 मे गठित की गयी थी इसको ही निरस्त्रीकरण सम्मेलन के रूप मे पुर्नगठित किया गया । संयुक्त राष्ट्र महासभाके निरस्त्रीकरण सम्बन्धी 1978 के प्रथम अधिवेशन में एक निरस्त्रीकरण की स्थापना की गयी आगे चलकर इसका नाम बदलकर निरस्त्रीकरण सम्मेलन कर दिया गया।

जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1991–96 की लम्बी अवधि में हुयी परमाणु परीक्षण सम्बन्धी गतिविधियों पर गहराई से विचार हुआ। यह विचित्र विड़म्बना है कि भारत जिसने 1954 में ब्यापक रूप मे परमाणु परीक्षण निषेध का प्रस्ताव किया था 1996 में अन्तिम रूप से स्वीकृत ब्यापक परीक्षण निषेध संधि पर सहमत नही हो सका और उसने उस पर हस्ताक्षर नहीं किंया। भारत अबाध रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण चाहता है। जबकि अमेरिका यह प्रयास कर रहा था कि आंशिक परीक्षण निषेध संधि (PTBT) ने धरती के नीचे जिन परीक्षणों की की अनुमति दी उन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय।

5. भारत की आण्विक निरस्त्रीकरण नीति

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के प्रयास में निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण को प्रमुख तत्व माना गया है भारत विश्व शांति को स्थापित करने में ही स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयत्नशील रहा है। विश्व के सामने इस समय सबसे बडा संकट है ''परमाणु युद्ध का खतरा''। निरस्त्रीकरण विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण भारत के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। परमाणु शस्त्रों की उपस्थिति और शस्त्रों की होड़ जारी रहना मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है।

भारत परमाणु ऊर्जा को शांति पूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने को वचनबद्ध है। इस दिशा में कुछ प्रयास इस प्रकार है–

1. 1954 में भारत ने सुझाव दिया कि जब तक ब्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक परमाणु हथियारों में सभी परीक्षण स्थगित कर दिये जाय।
2. 1964 मे भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु शस्त्रों की फैलाव की समस्या हल करने के लिए हथियारों के विकास तथा विस्तार को एक साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय संधि की ब्यवस्थाओं के अर्न्तगत रोक दिया जाय।
3. 1974 मे भारत ने परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मॉग की क्योंकि इस तरह का कोई भी इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र का उल्लंघन एवं मानवता के प्रति अपराध है।
4. 1982 मे भारत ने कुछ ठोस कार्यक्रम प्रस्तावित किये–

(क) निरस्तीकरण पर आयोजित विशेष अधिवेशन में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग न करने के लिए सबके लिए अनिवार्य रूप से मान्य संधि पर विचार किया जाय।

(ख) वर्तमान शस्त्र भंडार में कमी लाने के पहले कदम के रूप में परमाणु शस्त्रों के निर्यात पर रोक लगे। तथा भविष्य मे इसका उत्पादन बिल्कुल रोक दिया जाय सभी परमाणु परीक्षण तत्काल स्थगित किये जाय, निर्धारित समय सीमा के भीतर सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण की संधि करने के लिए बातचीत किया जाय और संयुक्त राष्ट्र संघ लोगो मे परमाणु शस्त्रों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करे।

6. निष्कर्ष

हमारा विचार है कि –'' परमाणु परीक्षण निषेध संधि जिसकी प्रकृति ब्यापक होगी उनमे तीन प्रमुख विशेषताऍ होनी चाहिए–

1. इसके क्षेत्राधिकार में पॉच परमाणु सम्पन्न राज्यों सहित सभी राज्य होने चाहिए।
2. परमाणु परीक्षणों पर धरती के भीतर किये जाने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए।
3. यह अनिश्चित अवधि के लिए होनी चाहिए जो भी प्रमाणिकता की ब्यवस्था की जाय वह भेदभाव रहित होनी चाहिए।

25 जनवरी 1996 में भारत की नयी प्रतिनिधि (राजदूत) अरूंधती घोष ने जोर देकर कहा कि

''संधि को विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के सन्दर्भ मे जोड़ा जाय तथा संधि की भाषा के द्वारा समयबद्ध रूप में सभी परमाणु अस्त्रों के उन्मूलन की ब्यवस्था की जाय।''

अर्थात् यह शोध से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण विश्व में परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण के लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर आगे आना चाहिए तभी सम्पूर्ण विश्व मे मानवता और पार्यावरण तथा आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो सकती है। और इस प्रकार विश्व शांति की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

7. सन्दर्भ

1. विशेश्वर प्रसाद – भारतीय विदेश नीति के आधार – वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की मानव ग्रंथ योजना के अन्तर्गत प्रकाशित
2. जे. एन. दीक्षित– भारतीय विदेश नीति – प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली
3. वी.एन. खन्ना – भारतीय विदेश नीति – एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस साहित्य भवन